न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 504/2022

विद्यादेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

— वादीया

बनाम्

1. चरणजीत पुत्र ओमप्रकाश } जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील
2. अन्जु पत्नी चरणजीत } संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैक शाखा नगराना तहसील संगरिया
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :—
1. श्री सुभाष सैन —वकील वादीया
2. श्री अमरसिंह मण्डोरा—वकील प्रति.सं. 1व 2
3. श्री रविन्द्र भोबिया—वकील प्रति.सं. 3

निर्णय दिनांक :— 18.03.2024

वादीया विद्यादेवी ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा के तहत दिनांक 28.09.2022 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 आपस में एक संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादपत्र की चरण सं. 2 में वादीया एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 की वंशावली को दर्शाया गया है। वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के संयुक्त हक व आधिपत्य की विरासतन कृषि भूमि चक नं. 1 एम.एम.के. प.ह. नगराना तहसील संगरिया जं.सं. 2078 खाता सं. 36/27 खाता अन्जू आदि कुल क्षेत्रफल 2.5300 है. में वादीया का हिस्सा 1076/2530 हि. विवादित तथा प्रतिवादी सं. 1 का हि. 759/2530 हि. विवादित तथा प्रतिवादी सं. 1 का हि. 759/2530 हिस्सा विवादित प्रतिवादी सं. 2 का हि. 1695/2530 हि. विवादित दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा इसी चक में इसी कृषि भूमि से संबंधित खाता सं. 35/9 खाता चरणजीत में कुल कृषि भूमि 0.6320 है. प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त वर्णित दोनो खातो में कुल कृषि भूमि 3.1620 है. वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के ब.हि.ब. संयुक्त अधिपत्य की संयुक्त हिन्दु परिवार की कृषि भूमि है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है :—

(अ) चक नं. 1 एम.एम.के. खाता सं. 36/27 खाता अन्जू आदि

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
173/194	14	1/1/0.228 है. 1/[illegible]/0.0250 है.गै.मु.[illegible] 2/1/0.228, 2/2/0.0250 [illegible] 9ता12/0.253 है.प्र., 19 ता 12/0.253 [illegible]

कुल क्षेत्रफल 2.5300 है. नहरी=2.4800 है.गै.मु.खाला =0.0500 है.।

(ब) चक नं. 1 एम.एम.के. खाता सं. 35/9 खाता चरणजीत आदि

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:25:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

173/194	14	3/1/0.228 है. 3/2/0.0250 है.गै.मु.खाला 8/0.2530 है. 13/1/0.126 है.

कुल क्षेत्रफल 0.6320 है. नहरी=0.6070 है.गै.मु.खाला =0.0250 है.।
दोनो खातो का कुल योग =3.1620 है. मय गै.मु.।

वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से दर्ज उपरोक्त दोनो खातो की कुल कृषि भूमि 3.1620 है. संयुक्त हिन्दु परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है जो वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को वादीया के स्व. पति ओमप्रकाश पुत्र अमीचन्द से विरासतन मिली हुई है। जिस पर वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ब.हि.ब. संयुक्त कब्जा काश्त है तथा इसी कृषि भूमि की आय से संयुक्त परिवार का पोषण होता है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में खाता सं. 36/27 विवादित खाता में दर्ज है, तथा खाता सं. 35/9 वादीया के अकेले पुत्र प्रतिवादी सं. 1 के नाम से है, जिसमें वादीया को कृषि ऋण आदि कोई सुविधा नही मिल रही है, इसलिए वादीया भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए अपने हक व हिस्सा की उक्त संयुक्त परिवार की उक्त दोनो खातों की समस्त कृषि भूमि 3.162 है. को वादीया व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के संयुक्त नाम से ब.हि.ब. राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए घोषणा करवाना चाहती है। वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णित दोनो खातो की समस्त कृषि भूमि 3.1620 है. संयुक्त परिवार की अविभाजित कृषि भूमि है, जो वादीया व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को वादीया के स्व. पति ओमप्रकाश से विरासतन मिली हुई है, जिसमें वादीया प्रतिवादी सं. 1 व 2 का ब.हि.ब. का हक व हिस्सा बनता है तथा उक्तानुसार वादीया का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही होने से वादीया को कृषि ऋण, फसल बीमा आदि की सुविधा प्रतिवादी सं. 1 व 2 से वादीया को उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर दोनो खातो को राजस्व रिकॉर्ड में ब.हि.ब. नाम दर्ज करवाने के लिए निवेदन किया, जिस पर प्रतिवादीगण ने पहले तो टालमटोल करते रहे लेकिन अन्त में पिछले सप्ताह वह वादीगण की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही बिनाया दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं. 3 ने बैक हित को ध्यान में रखने का निवेदन करते हुए जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं. 4 ने राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ करते हुए जवाबदावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। इसके बाद पत्रावली दिनांक 13.06.2023 को प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 कैम्प रतनपुरा में पेश हुई, जिसमें वादीया व प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपने–अपने अभिभाषकों के साथ आपसी सहमति से उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा को तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीया ने पैतृक सम्पति के साक्ष्य के तौर पर जमाबन्दी चक नं. 1 एम.एम.के. खाता सं. 36/27 व 35/9 जं.सं. 207[illegible] की छायाप्रति पेश की। साक्ष्य में वादीया विद्यादेवी का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. [illegible] जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादीया व प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि प्रति.सं. 1 वादीया [illegible] पुत्र है तथा प्रतिवादी सं. 2 वादीया की पुत्रवधु है जो कि एक हिन्दु संयुक्त परिवार के [illegible] के चरण सं. 3 मे वर्णित कृषि भूमि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को वि[illegible]तन प्राप्त हुई। मुताबिक सहमति का जवाब दावा प्रति.सं. 1 ता 2 ने पेश किया, कोई विरोध नही है। जवाबदावा राजीनामा वाद पत्र डिक्री किया जावे। बहस में प्रति.सं. 1ता 2 के अभिभाषक ने जवाबदावा राजीनामा अनुसार वादपत्र डिक्री करने पर सहमति दी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। वकील वादी ने पैतृक कृषि भूमि अनुसार वाद डिक्री किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:25:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया। प्रति.सं. 1 व 2 का सहमति का जवाबदावा पेश होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीया व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 एक ही परिवार के सदस्य है। वादपत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामा एवं सहमति का जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय जुज रहेगा।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः वाद वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की सहमति से प्रस्तुत मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि :— तहसील संगरिया के चक नं. 1 एम.एम.के. खाता सं. 36/27 खाता अन्जू आदि जं.सं. 2071—74 में वादीया विद्यादेवी का दर्ज हिस्सा 1.076 से कम करके 1.0540 है. तथा प्रतिवादीया सं. 2 अन्जू का खाता में दर्ज हिस्सा 1.695 है. से कम कर 1.0540 है. तथा प्रतिवादी सं. 1 चरणजीत का हिस्सा 0.759 है. से कम कर 0.42220 है. दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 का शेष हिस्सा इसी चक 1 एम.एम.के. के खाता सं. 35/09 खाता चरणजीत ज.सं. 2071—74 में 0.6320 है. यथावत रखा जावे। उक्तानुसार वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

नोट :—यदि डिक्रीत वादीगण/प्रतिवादीगण के हक हिस्सा की आराजी बैक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.3.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.04.26 11:25:00 IS
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 504 / 2022

विद्यादेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादीया

बनाम्

1. चरणजीत पुत्र ओमप्रकाश } जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. अन्जु पत्नी चरणजीत }
3. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैक शाखा नगराना तहसील संगरिया
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :– 18.3.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाष सैन वकील वादीया मिन जामिन मुदई व श्री अमरसिंह मण्डोरा वकील प्रति.सं. 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि तहसील संगरिया के चक नं. 1 एम.एम.के. खाता सं. 36 / 27 खाता अन्जू आदि जं.सं. 2071–74 में वादीया विद्यादेवी का दर्ज हिस्सा 1.076 से कम करके 1.0540 है. तथा प्रतिवादीया सं. 2 अन्जू का खाता में दर्ज हिस्सा 1.695 है. से कम कर 1.0540 है. तथा प्रतिवादी सं. 1 चरणजीत का हिस्सा 0.759 है. से कम कर 0.42220 है. दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 का शेष हिस्सा इसी चक 1 एम.एम.के. के खाता सं. 35 / 09 खाता चरणजीत जं.सं. 2071–74 में 0.6320 है. यथावत रखा जावे। उक्तानुसार वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

नोट :–यदि डिक्रीत वादीगण / प्रतिवादीगण के हक हिस्सा की आराजी बैक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज..X..निल..X..मुब्लिक..X..निल..X..बाबत..X..निल..100/-..खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ..X..को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18.3.2024 को जारी किया गया।

निज..X..निल..X..मुब्लिक..X..निल..X..बाबत..X..निल..X..खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ..X..को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18.3.2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh K Meena

Date: 2024.04.26 11:25:00 I

Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया